Indian J. Soc. & Pol. 10 (02) :59-62 : 2023 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2023 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारतीय महिलाओं के उत्थान में संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों की प्रासंगिकता

ज्योति सिंह यादव[1]

[1]महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय,बरेली,उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

डॉ अम्बेडकर ने कहा है "यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही–सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो" किसी भी समाज को संवृद्धि और सशक्त होने के लिए आवश्यक है कि समाज में महिलाओं को मानव संसाधन के रूप में सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए । इस सहभागिता में जरूरी है की महिलाओं में शिक्षा का स्तर ,व्यावसायिक और आर्थिक संरचना में भागीदारी होना शासन, प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था में उनकी उपयोगिता को सम्मिलित किया जाए।

KEYWORDS: *महिला उत्थान, महिलाओं के संवैधानिक तथा विविध अधिकार,वास्तविक स्थिति*

भारतीय समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। जिसमें प्रति एक स्त्री केंद्र में होकर भी केंद्र से काफी दूर है । सिमोन द बओबार ने कहा है कि "स्त्री पैदा नहीं होती है बनाई जाती है" । अर्थात समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्रियों को ढालता चला आया है । पुरुष स्त्रियों के सोचनीय शक्ति से लेकर उसके जीवन जीने के तरीके को नियंत्रित करता चला आ रहा है और यह पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की दिशा और दशा को निर्धारित करता है ।

डॉ अम्बेडकर के अनुसार "भारतीय नारी श्रम से घबराती नहीं ,आँसुओं की चिंता करते हुए वह रोटी ,उधार ,व्यवहार ,उपेक्षा ,शोषण से बेशक डरती है" । नोबल विजेता अमर्त्यसेन ने कहा है कि " महिलाओं के सशक्तिकरण से न केवल महिलायें के जीवन में निश्चित रूप से सकरात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी इससे लाभ होगा"। पूरे विश्व में महिला उत्थान के लिए 8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है । इस संदर्भ में हरिशंकर परसाई ने व्यंग किया है कि "दिवस कमजोर के मनाए जाते है मजबूत लोगों के नहीं"

साहित्य पुनरावलोकन

(महिला सशक्तिकरण, इंदराज सिंह) ने अपनी पुस्तक में महिला अपराध और अत्याचार की वास्तविक घटनाओ पर अध्ययन किया है। (महिला सशक्तिकरण और नारीवाद –पी. डी.शर्मा) ने अपनी में पुस्तक में महिलाओं द्वारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कैसे ध्वस्त करना है, के बारे में बताया गया है । (महिला सशक्तिकरण और भारत –राकेश कुमार आर्य) ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला और पुरुष की सोच में परिवर्तन कर एक दुसरे के प्रति सम्मान भाव रखने की बात कही है । महिला सशक्तिकरण पर आधारित योजना मासिक पत्रिका सितंबर 2021 में स्त्री हत्या की रोकथाम पर डॉ. रंजना कुमारी ,मासिक धर्म –एक मानवीय मुद्दा पर अंशू गुप्ता, स्वयं सहायता समूह पर डॉ. के के त्रिपाठी ,लैंगिक न्याय पर डॉ.सुभाष शर्मा और एमएसएमई में महिलायें पर रेखा नाबियार आदि आलेखों में महिला अधिकारों के संरक्षण, सुधारों और वास्तविक स्थिति पर बात की गई है। योजना मासिक पत्रिका सितंबर 2016 में नारी सशक्तिकरण के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण ,आर्थिक सशक्तिकरण तथा महिलाओ की सामाजिक ढ़ांचे में भूमिका ,महिलाओं के विधिक सामाजिक अधिकार का वर्तमान परिपेक्ष्य तथा नारी संवेदनाओं के बारे में वर्णन किया गया है । उपरोक्त साहित्य और शोध कार्य महिला सशक्तिकरण पर आधारित है इसमें संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की महिला सशक्तिकरण में क्या भूमिका रही है इस पर ज्यादा कार्य हुए है लेकिन इन कानूनों व अधिकारों की वास्तविक स्थिति क्या है और क्या इन कानूनों व अधिकारों से पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन हुआ है, इस पर कम कार्य हुए हैं । अतः यह शोध कार्य इस परिप्रेक्ष्य में नवीन होगा तथा शोध अंतराल को पूरा करेगा ।

समस्या कथन

- महिला उत्थान संबंधी कानूनों का पूर्णतया क्रियान्वयन न होना ।
- महिलायें अपने ही अधिकारों के प्रति जागरूक न होना ।
- पितृसत्तात्मक समाज द्वारा महिलाओ की दशा और दिशा तय करना ।

परिकल्पना

- महिला संबंधी कानून व अधिकार किताबी ज्यादा व्यवहारिक कम रही है।
- समाज की पितृसत्तात्मक सोच महिला उत्थान में बाधक रही है ।
- महिलाओ के विरुद्ध होने वाले अपराध उनके उत्थान में बाधक रही है ।

उद्देश्य

- प्रस्तुत शोध पत्र के द्वारा महिला उत्थान को नई दिशा मिल सके।

1: Corresponding Author

- महिलाओं से संबंधित संवैधानिक तथा विधिक अधिकार को समझना ताकि महिला उत्पीड़न को मुक्त किया जा सके।
- महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके।
- उन दशाओं को पता लगाना जिससे महिला उत्थान में वृद्धि हो सके ।
- महिलाओं को उनकी वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके ।

शोध प्रश्न :

- महिला उत्थान में बनाए गए संवैधानिक व कानूनी अधिकारो की वास्तविक स्थिति क्या है?
- क्या महिला उत्थान में यह अधिकार सहायक रहे है ?
- क्या यह संवैधानिक व कानूनी अधिकार पितृसत्तात्मक सोच को बदल पाई है ?
- क्या महिलयों में इन अधिकारों के प्रति जागरूकता है?
- आंकड़ों का संकलन दृद्वितीयक समको का संकलन ,पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों तथा इंटरनेट के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा प्राप्त था । प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी जैसे मात्रदेवी की मूर्ति ,पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मूर्ति ज्यादा मिलना। वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज के बावजूद गार्गी ,अपाला ,लोपामुद्रा ,रमेंशा आदि महिलाए शिक्षा , वेद तथा युद्ध काल में निपुण थी। बोद्ध काल , मौर्यकाल एवं गुप्तकाल में महिलाओं की स्थित दयनीय होना प्रारंभ हो गई थी । मध्यकाल में महिलाओं की स्थित अच्छी नहीं थी इसमें पर्दा प्रथा ,सतीप्रथा ,बाल विवाह ,बांझ जैसी कुरीतियों ने समाज को जकड़ रखा था । 19वीं शताब्दी में नवजागरण काल प्रारंभ हुआ जिसमें महिलाओं के इन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक ,आर्थिक ,धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए । जिससे महिलाओं की स्थित में आपेक्षित सुधार हुआ । ब्रिटिशकाल में महिलाओं के विकास हेतु सरकारी कानून का निर्माण किया गया । सतीप्रथा , बालविवाह, विधवा विवाह संबंधों कानून का निर्माण किया गया । जिससे स्त्रियों में अन्याय के खिलाफ स्वर उठाना प्रारंभ कर दिया । राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय महिलाओं ने हर कदम पर पुरुषों के साथ मिलकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया । महात्मा गांधी के आवाहन पर हजारों की संख्या में अमीर –गरीब , शिक्षित –अशिक्षित स्त्रियाँ दहलीज से बाहर निकाल पड़ी । स्वतंत्रता युग में भारत में लोकतान्त्रिक ढांचे का निर्माण किया गया तथा भारतीय संविधान का निर्माण मानो महिलाओं में जीवन का संदेश लाया । संविधान में महिलाओं को मुख धारा में लाने के लिए सामाजिक ,आर्थिक ,राजनैतिक तथा योजनाओं ,काननों ,नियमों और लक्ष्यों को रखा गया । एतिहासिक परिपेक्ष्य में समाज के विभिन्न व्यवस्थाओं पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है जिसमें महिलाओं की सहभागिता सीमित रही है महिलाओ को मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान निरामताओं नें संविधान में संवैधानिक प्रावधान की व्यवस्था की है।

महिलाओं के संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार–

भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर हैं । जिसके विभिन्न भाग में मौलिक अधिकार,नीति निदेशक तत्व ,मौलिक कर्तव्य ,स्थानीय स्वशासन आदि अनेक अनुच्छेदों में महिला अधिकारों का वर्णन किया गया है जिसमें महिलाओं को सामाजिक , राजनैतिक ,कानूनी ,आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए हैं–

- अनुच्छेद–14– इस अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है जिसमें भारत के क्षेत्राधिकार में किसी भी नागरिक को विधियों के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा ।
- अनुच्छेद–15– इस अनुच्छेद में राज्य केवल धर्म ,मूल ,वंश जाति ,जन्मस्थान व लिंग के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा । तथा इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष करने से नहीं रोकेगा ।
- अनुच्छेद–16– इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों (महिला /पुरुष)के लिए अवसर की समानता होगी ।
- अनुच्छेद–19– इसमें नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है जिसमें महिलाओं को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार ,भारत राज्य क्षेत्र में आवागमन तथा सम्मेंलन व संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है ।
- अनुच्छेद –23–24– इन अनुच्छेदों में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को महिला सम्मान के विरुद्ध मानते हुए उनके खरीद फरोक्त,वेश्या वृति ,बलात श्रम करना आदि को दंडनीय अपराध की श्रणी में रखा है ।
- अनुच्छेद –39– इस में महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार ,सम्मान कार्ये के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान किया गया है जिससे महिलायें आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें ।
- अनुच्छेद–41– इसमें महिलाओं सहित सभी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है तथा प्रत्येक नागरिक को बेकारी ,वृद्धावस्था ,बीमारी एवं विकलांगता का प्रभावशाली प्रावधान किया गया है ।
- अनुच्छेद–42– इसके अंतर्गत राज्य के कार्य के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्तिथियों तथा महिलाओं को प्रसूति काल में मात्रत्व सहाएता प्रदान करने का प्रावधान करेगा ।
- अनुच्छेद–44– इसमें राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा ।
- अनुच्छेद–45– इसमें राज्य सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 14 वर्ष तक पूरा करेगा ।

- अनुच्छेद–46– इसके अंतर्गत राज्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा आर्थिक,सामाजिक सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए उन्हें शोषण से मुक्त किया जाए ।
- अनुच्छेद–51– भारत के सभी लोगों में समरता और समान भात्रत्व की भावना का निर्माण करे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ।
- अनुच्छेद–325– इसमें धर्म ,मूलवंश ,लिंग ,जाती के आधार पर कोई व्यक्त निर्वाचिन नियमावली में सम्मिलित किए जाने की दृष्टि से अपात्र नहीं होगा ।
- अनुच्छेद –326– प्रत्येक नागरिक को (18 वर्ष की आयु) मतदान का अधिकार है ।
- अनुच्छेद –243– इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायत एवं नगरपालिका के स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है ।

भारतीय दण्ड संहिता ,1973

1. धारा 304(ठ)– दहेज मृत्यू से संबंधित है जिसमें विवाह के 7 साल के भीतर महिला की आप्रकृतिक ढंग से मृत्यु हो जाती है आत्महत्या कर लेती है तो पति या रिस्तेदार को सात साल की या आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है ।
2. धारा 354– महिला की शालीनता भंग करने की मनसा में हिंसा या जबरदस्ती करने का दोस सिद्ध होने पर 2 वर्ष की सजा ।
3. धारा 366– अपहरण करके महिला के मर्जी के खिलाफ विवाह के लिए मजबूर करने के दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की सजा ।
4. धारा 376– बलात्कार से संबंधित इसमें 2 से 10 साल तक आजीवन कारावास
5. धारा 376(।)– नाबालिक लड़की को कब्जे में रखने से संबंधित तथा 10 साल की सजा ।
6. धारा 494– पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह करने पर सात साल की सजा ।
7. धारा 496– धोखाधड़ी से विवाह करने से संबंधित 7 साल की सजा ।
8. धारा 497– व्यभिचार के लिए 5 वर्ष की सजा ।
9. धारा 498(।)– पति या रिश्तेदार द्वारा महिला पर क्रूरता, 3 साल का कारावास ।
10. धारा 509– महिला को अपमानित करने की मनसा से अपशब्द कहने अश्लील हरकतें करने से संबंधित है 1 वर्ष की सजा ।

धारा –372– 18 वर्ष से कम आयु की महिला को वैश्यावृति के लिए प्रयोजनार्थ बेचने पर –10 वर्ष की सजा ,जुर्माना।

महिलाओं के हितों के संरक्षण के लिए सामाजिक कानून

- बाल विवाह अवरोध अधिनियम (1929)
- हिन्दू विवाह अधिनियम (1955)
- विवाह विच्छेद
- मुस्लिम कानून
- मुस्लिम विधि में उत्तराधिकार
- मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम (1939)
- भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम (1872)
- भारतीय विवाह –विच्छेद अधिनियम (1869)
- विशेष विवाह अधिनियम (1954)
- हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)(संशोधन 2005)
- वसीयत केआधार पर अधिकार –पत्नी
- हिन्दू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम (1956)
- सती निवारण अधिनियम(1987)
- दहेज निरोधक अधिनियम (1961)
- अनैतिक व्यापार अधिनियम (1956)
- चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971
- महिलाओं के जन्म पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (1994)
- प्रसूति सुविधा अधिनियम (1961)
- समान मजदूरी अधिनियम (1976)
- कारखाना अधिनियम (1948)
- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम
- राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम (1948)

सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाएं कार्यक्रम

- बालिका समृद्ध योजना
- किशोरी शक्ति योजना
- इंदिरा महिला योजना
- सरस्वती सायंकाल योजना
- स्यं सिद्ध योजना
- बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ योजना
- महिला समाख्या योजना

वास्तविक स्थिति

- **महिला हत्या–** जब किसी महिला को उसके प्रति द्वेष और पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर हत्या की जाती है तो वह महिला हत्या समझा जाता है जिससे यौन हत्या घरेलू ,पारिवारिक हिंसा तथा सांस्कृतिक या संस्थागत हिंसा या मृत्यु शामिल है 2020 में महिलाओं के प्रति अपराध में 53 प्रतिशत की वृद्ध देखी गई है।
- **घरेलू हिंसा :** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच 34 प्रतिशत महिलाओं ने 15 साल की उम्र के बाद 37 प्रतिशत विवाहित महिलाओं ने हिंसा का सामना किया है घरेलू हिंसा के मामले में 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

- **दहेज प्रथा** : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दहेज के कारण मौत के मामलों की सालाना संख्या 7000 को पार कर गई है ।
- **बाल विवाह :** लॉक डाउन के दौरान चाइल्ड लाइन (1098) ने लगभग 898 बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाई।

नैशनल साइबर क्राइम : प्लान इंटरनेशनल द्वारा किए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार 60 प्रतिशत महिलायें और लड़कियां ने किसी न किसी प्रकार से अनलाइन परेसान करने वाली हरकतों का सामना किया । इसकी वजह से हर 5 महिलाओं में से 1 ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल या तो बंद कर दिया या कम कर दिया।

स्वास्थ राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन के अनुसार देश में महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम है। देश की हर तीसरी महिला कुपोषित है। हर दूसरी महिला में खून की कमी है।

लिंगानुपात– जनगणना 2011 के अनुसार –1000 पुरुषों पर 943 महिलायें हैं जिसमें अभी 57 महिलायें कम हैं हरियाणा जैसे राज्य में भ्रूण हत्या की वजह से लिंगनुपात कम है ।

साक्षरता दर– पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत और 65.46 प्रतिशत महिलाओं की साक्षरता दर ।

महिला साक्षरता दर के कमी के कारण

- लैंगिक विभेदीकरण
- रुढ़ीवादी मानसिकता
- घरेलू कार्यों में लड़कियों का लगा रहना
- अभिभावकों की उदासीनता
- सामाजिक भेदभाव
- बाल विवाह

राजनैतिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति

17 वी लोकसभा में महिलाओं की संख्या 14.3 प्रतिशत है अर्थात 552 सीटों में 78 महिलायें हैं। जिनकी संख्या पुरुषों से अत्यधिक कम है ।

यौन उत्पीड़न– राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की लगभग 31000 शिकायत हुई है जो वर्ष 2014 के बाद सबसे अधिक हैं ।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमन के एक अध्ययन में पाया गया जिसमें स्कूल प्रणाली से बाहर मौजूद बालिकाओं के विवाह की संभावना 4 गुना अधिक होती है । राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण आयोग की रिपोर्ट 2018 में 15–18 वर्ष की आयु वर्ग की लगभग 39.9 :लड़किया स्कूल संस्थान में पंजीकृत नहीं है वे घरेलू कार्यों और भीख मांगने में सलंग्न है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है की महिला उत्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार के संवैधानिक और विधिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है जरूरत है उन नियम और अधिकारों ,कानूनों को जमीनी स्तर तक लागू करना। प्रत्येक व्यक्ति को इन कानूनों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना ताकि महिलाओं की वास्तविक स्थिति को सुधारा जा सके। महिलाओं की स्थित को सुधारने और संरक्षण संबंधी नए कानून बन रहे हैं लेकिन इन कानूनों का क्रियान्वयन बहुत कम है देश की महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं जिसके कारण महिलायें अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर पाती हैं। अतः महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए समाज को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा उन्हें समाज में व्याप्त रूढ़ियों और कुरीतियों को समाप्त करना होगा तथा इन सामूहिक प्रयासों से ही महिलाओं को सम्माननीय दर्जा व उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सकेगी ।

REFERENCES

बसु, डॉ दुर्गा दास (2022). *भारत का संविधान –एक परिचय*

कश्यप ,सुभास. (2016) *हमारा संविधान –भारत का संविधान और संवैधानिक विधि*

योजना पत्रिका, सितंबर, 2021.

योजना पत्रिका, अक्टूबर, 2018.

योजना पत्रिका, सितंबर, 2016.